मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 03/08/2022 को अधिसूचित

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आदेश क्र. एफ 12–03–2022–सत्रह–मेडि–3. दिनांक 03 अगस्त 2022

प्र.01 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 किन पर लागू हैं ?

उ.01 ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे,–

(i) राज्य सरकार के नियमकारी नियंत्रण के अधीन आने वाले शासकीय कर्मचारियों को, जब वे मध्यप्रदेश के भीतर कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या अवकाश पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या निलम्बनाधीन हों;

(ii) संविदा आधार पर कार्यरत शासकीय कर्मचारी;

(iii) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यरत नगर सैनिक;

(iv) आकस्किकता निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी; तथा

(v) मासिक वेतन पर निरन्तर नियोजित कार्यप्रभारित स्थापना (वर्क चार्जड् एस्टिब्लिस्मेंट) के सदस्य।

प्र.02 क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 राज्य की समितियों/निगम/मंडल के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ?

उ.02 राज्य की समितियों/निगम/मंडल इत्यादि द्वारा भी अपने कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ये नियम अंगीकृत किए जा सकेंगे।

प्र.03 प्रदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 किस दिनांक से प्रवृत्त होंगे ?

उ.03 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक अर्थात् 03 अगस्त 2022 से प्रवृत्त होंगे।

प्र.04 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयकों पर उचित कार्यवाही हेतु देयक दिनांक अथवा देयक प्रस्तुति दिनांक को दृष्टिगत रखा जाए ?

उ.04 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत देयक पर उचित कार्यवाही हेतु देयक दिनांक को दृष्टिगत रखा जाना होगा अर्थात् दिनांक 03 अगस्त 2022 के पूर्व के समस्त देयक मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के उपबंधों अनुरूप निराकृत किए जाएंगे।

प्र.05 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु शासकीय कर्मचारी द्वारा आवेदन कब तक किया जाना होगा ?

उ.05 बाह्य रोगी तथा अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन, व्यय दिनांक से छः मास के भीतर नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। देयक का निराकरण देयक दिनांक पर प्रचलित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम के अनुरूप किया जाएगा ।

प्र.06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु शासकीय कर्मचारी द्वारा आवेदन किस प्ररूप में किया जाना होगा ?

उ.06 बाह्य रोगी तथा अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन व्यय, दिनांक से छः मास के भीतर, क्रमशः **प्रपत्र–दो और चार** में नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

प्र.07 शासकीय कर्मचारी के उपचार संबंधी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए "प्राधिकृत चिकित्सक" कौन है ?

उ.07 "प्राधिकृत चिकित्सक" से अभिप्रेत है राज्य में, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्थानीय शासन द्वारा संधारित चिकित्सालय का, औषधि देने वाला चिकित्सक। किसी आपात स्थिति में अथवा किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा दौरे के दौरान/प्रशिक्षण के दौरान/अवकाश के दौरान किसी गैर–सूचीबद्ध चिकित्सालय में लिए गए उपचार की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सक से अभिप्रेत होगा उपचार करने वाला चिकित्सक।

प्र.08 शासकीय कर्मचारी के परिवार से क्या अभिप्रेत है ?

उ.08 परिवार'' से अभिप्रेत है–

(i) शासकीय कर्मचारी का पति अथवा पत्नी;

(ii) ऐसे शासकीय कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित उसके माता–पिता, विधिक रूप से गोद ली गई सन्तान और सौतेली सन्तानें;

(iii) शासकीय कर्मचारी के परिवार के ऐसे सदस्य, जिन्हें सम्बन्धित शासकीय कर्मचारी द्वारा अपनी सुविधा को देखते हुए शिक्षा अथवा चिकित्सा के लिए अपने स्वयं के निवास से भिन्न किसी अन्य स्थान पर रखा गया हो, उसके साथ निवासरत समझे जाएंगे;

(iv) तलाक शुदा पुत्री जो शासकीय कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो;

(v) विवाहित महिला शासकीय कर्मचारियों के माता–पिता, जो पूर्णतया उन्हीं पर आश्रित हों और जिनकी अन्य स्त्रोतों से कोई आय न हो, जो महिला शासकीय कर्मचारी के साथ आमतौर पर वर्षभर निवास करते हों व आय का कोई अन्य स्त्रोत न हो तो, महिला शासकीय कर्मचारी को उसके माता–पिता के उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता इन नियमों के अधीन होगी। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए विवाहित महिला शासकीय कर्मचारी को यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि ''विवाहित महिला शासकीय कर्मचारी के माता–पिता पूर्णतः उसी पर आश्रित हैं और उसके साथ निवास करते हैं और माता–पिता की किन्हीं अन्य स्त्रोतों से आय नहीं है अथवा उनका कोई और सहारा नहीं है।

(vi) **सेवानिवृत्त/पेंशन प्राप्त कर रहे माता–पिता** जिनकी पेंशन तथा समस्त अन्य स्त्रोतों को सम्मिलित करते हुए कुल वार्षिक आय 3 लाख रूपये हो, शासकीय कर्मचारी पर आश्रित समझे जाएंगे;

(vii) **जहां पति तथा पत्नी दोनों शासकीय कर्मचारी हों**, वहां आश्रितों के उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा उनमें से केवल एक के द्वारा किया जाएगा, जहां पति तथा पत्नी दोनों ही शासकीय कर्मचारी हों और उनमें से कोई एक केन्द्र सरकार की सेवा में अथवा किसी अन्य अर्ध–शासकीय/स्वशासी संस्था जैसे विश्वविद्यालय/मण्डल/निगम अथवा ऐसी निजी संस्थाओं में सेवा में हो, जिनमें चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा हो, उन्हें सादे कागज़ पर, उस स्थान का, जहां कि पति/पत्नी सेवा में हों तथा उस स्थिति में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कौन पात्र है, यह कथन करते हुए एक संयुक्त घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रतिपूर्ति का दावा उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो चिकित्सा करवा रहा है। आश्रित संतान की स्थिति में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा पति अथवा दोनों में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(viii) **उस स्थिति में, जहां दो या दो से अधिक जीवित संतानें हों,** यदि और संतान जन्म लेती है तो, इस प्रकार जन्म लेने वाली संतानों को इन नियमों के अधीन लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। तथापि, उस दशा में जहां कि द्वितीय प्रसव के दौरान एकाधिक गर्भ के परिणामस्वरूप संतानों ने जन्म लिया हो, वहां इस प्रकार जन्म लेने वाली संतानों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का लाभ लेने की पात्रता होगी।

प्र.09 शासकीय कर्मचारी के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु ''पैकेज दर'' से क्या अभिप्राय है ?

उ.09 ''पैकेज दर'' से अभिप्रेत है भोपाल शहर के लिए निर्धारित सी.जी.एच.एस. (Central Government Health Scheme) की दरें।

प्र.10 पूर्व में प्रचलित नियमों के अधीन राज्य के भीतर अंतर्वासी रोगी के उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु ''पैकेज दरों'' एवं वर्तमान प्रचलित नियमों में क्या अंतर है ?

उ.10 पूर्व में प्रचलित नियमों के अधीन राज्य के भीतर अंतर्वासी रोगी के उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु ''पैकेज दरों'' का निर्धारण, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर गठित विषय विशेषज्ञों की

समिति द्वारा किया जाता था। यह पैकेज दर निम्नलिखित विधा एवं कुछ नैदानिक प्रक्रियाओं के लिए ही सीमित थेः–

(i) जनरल सर्जरी	**(vii) स्पाईन/हेड इन्जुरी/न्यूरोसर्जरी**
(ii) ऑर्थोपेडिक्स (Joint Replacement प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए)	**(viii) कार्डियोलॉजी**
	(ix) गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी
(iii) जटिल प्रसूति एवं स्त्री रोग	**(x) कॉक्लियर इंप्लान्ट**
(iv) ऑफ्थैल्मोलॉजी	**(xi) वेसकुलर सर्जरी (Congenital malformation को सम्मिलित करते हुए)**
(v) पोस्ट–बर्न एवं प्लास्टिक प्रक्रिया	
(vi) नेफ्रोलॉजी (Dialysis, Renal Transplant को सम्मिलित करते हुए)	**(xii) ऑनकोलॉजी ट्रीटमेन्ट (Cancer and Palliative Care)**

वर्तमान नियम 2022 के अंतर्गत सी.जी.एच.एस. (Central Government Health Scheme) अंतर्गत भोपाल शहर के लिए निर्धारित दरों एवं समय–समय पर विहित पैकेज को दृष्टिगत रखा जाएगा। इस प्रकार शासकीय कर्मचारियों को उपरोक्त तालिकाबद्ध विधाओं के अतिरिक्त अन्य रोगों के उपचार के लिए अधिक पैकेज तथा नैदानिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी।

प्र.11 मानसिक रोग से ग्रस्त शासकीय कर्मचारी के उपचार के लिए नवीन मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 में क्या प्रावधान है ?

उ.11 शासकीय कर्मचारी जो मानसिक रोग से पीड़ित हो, यदि उसके रोग की प्रकृति के कारण राज्य के शासकीय मानसिक चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय के मनोचिकित्सक के मत में उसे भर्ती किया जाना अनिवार्य हो तो, राज्य के शासकीय मानसिक चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के मानसिक रोगियों के वार्ड में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या, उपचार, आवास एवं भोजन की पात्रता होगी।

प्र.12 "आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था" क्या हैं ?

उ.12 "आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था" से ऐसी चिकित्सीय अवस्था अभिप्रेत है जिसमें इस प्रकृति की पर्याप्त तीव्रता के (जिसमें तीव्र दर्द सम्मिलित हैं) तीक्ष्ण लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हों जिनके कि तत्काल चिकित्सीय देखरेख के अभाव में युक्तियुक्त रूप में निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं –

(i) व्यक्ति के स्वास्थ्य को अथवा गर्भवती महिला के संदर्भ में महिला अथवा उसके अजन्मे शिशु के स्वास्थ्य को गंभीर संकट; अथवा
(ii) शारीरिक क्रियाओं को गंभीर क्षति; अथवा
(iii) शरीर के किसी अंग अथवा भाग द्वारा गंभीर दुष्क्रिया करना;
(iv) जीवन के लिए घातक जटिलताएं;
(v) प्राणघातकता।

प्र.13 शासकीय कर्मचारी द्वारा बाह्य रोगी के रूप में उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किस प्ररूप में दावा प्रस्तुत किया जाना होगा ?

उ.13 शासकीय चिकित्सालय में बाह्य रोगी उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा विहित उपचार पर उपगत होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति **प्ररूप–दो** में प्रस्तुत किए जाने पर की जाएगी।

प्र.14 क्या प्राधिकृत चिकित्सक से शासकीय कर्मचारी द्वारा प्राप्त बाह्य रोगी परामर्श संबंधी औषधियां प्रतिपूर्ति योग्य है ?

उ.14 शासकीय कर्मचारी द्वारा बाह्य रोगी उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति उपचार के लिए **प्ररूप–दो** में आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें ओ.पी.डी. के क्रमांक तथा दिनांक सहित उपचार पर्ची की मूल/छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना होगा। ओ.पी.डी. के क्रमांक तथा दिनांक सहित उपचार पर्ची की मूल अथवा छायाप्रति के बिना प्रस्तुत की गई मांग की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

प्र.15 शासकीय कर्मचारी द्वारा 1 वित्तीय वर्ष में बाह्य रोगी के रूप में किस सीमा तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है एवं इस हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया क्या होगी ?

उ.15 शासकीय कर्मचारी द्वारा 1 वित्तीय वर्ष में बाह्य रोगी के रूप में चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी दावे एवं अनुमोदन की प्रक्रिया निम्नानुसार स्थापित हैः–

स.क्र.	बाह्य रोगी उपचार का प्रकार एवं 1 वित्तीय वर्ष में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सीमा	अनुमोदन की प्रक्रिया
(i)	एक वित्तीय वर्ष में शासकीय चिकित्सालय में बाह्य रोगी के रूप में स्वयं के अथवा अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य के उपचार के संबंध में रुपये 2000/– (रुपये दो हजार केवल) प्रतिमाह से अनधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के चार बार अथवा निरन्तर तीन माह तक किन्तु एक वित्तीय वर्ष में रुपये 8,000/– (रुपये आठ हजार केवल) से अनधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयक	शासकीय कर्मचारी के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा सम्यक परीक्षण के पश्चात् देयक अनुमोदित किए जाएगे।
(ii)	एक वित्तीय वर्ष में शासकीय चिकित्सालय में बाह्य रोगी के रूप में स्वयं के अथवा अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य के उपचार के संबंध में रुपये 8,000/– (रुपये आठ हजार केवल) से अधिक किन्तु रुपये 20,000/– (रुपये बीस हजार केवल) से कम के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक	शासकीय कर्मचारी के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसे देयकों के परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु, देयक जिला मेडिकल बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा एवं अनुकूल अनुशंसा प्राप्त होने पर ही पारित किया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी द्वारा उपचार की दशा में देयकों को संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद अथवा जिले के प्रभारी जिला आयुर्वेद अधिकारी को अनुशंसा हेतु अग्रेषित किया जाएगा।
(iii)	एक वित्तीय वर्ष में शासकीय कर्मचारी के स्वयं के अथवा उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के बाह्य रोगी के रूप में उपचार के लिए राशि रु. 20,000/– (रूपये बीस हजार केवल) से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक	शासकीय कर्मचारी के स्वयं के अथवा उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के बाह्य रोगी के रूप में उपचार के संबंध में एक वित्तीय वर्ष में रूपये 20,000/– (रुपये बीस हजार केवल) से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे अनुमोदित नहीं किए जाएंगे।

प्र.16 दीर्घकालिक रोग से पीड़ित शासकीय कर्मचारी के बाह्य रोगी के रूप में उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति कैसे संभव होगी ?

उ.16 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 के नियम 6 (1), (2) एवं (3) उपबन्ध, उन रोगियों से संबंधित प्रतिपूर्ति के देयकों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसे रोग से पीड़ित हो जिनके बारे में संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने विहित **प्ररूप–तीन** में इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया हो कि उस रोग का लम्बे समय तक उपचार किया जाना आवश्यक अथवा संभावित है।

प्र.17 दीर्घकालिक रोग (Disease requiring Prolonged Treatment) के लिए बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा प्रमाण–पत्र एक बार में कितनी अवधि के लिए जारी की जा सकेगा ?

उ.17 दीर्घकालिक रोग (Disease requiring Prolonged Treatment) के लिए बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र एक बार में एक वर्ष से

अधिक की कालावधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा किन्तु उसका समय समय पर एक बार में एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जो कि आवश्यक हो, नवीनीकरण किया जा सकेगा। ऐसे रोगों के लिए रुपये 20,000/– की सीमा लागू नहीं होगी।

प्र.18 क्या शासकीय कर्मचारी अथवा उसके परिवार हेतु एम्बुलेन्स अथवा एयर एम्बुलेन्स पर प्रभारित उपगत व्यय, प्रतिपूर्ति योग्य है ?

उ.18 शासकीय कर्मचारी अथवा उसके परिवार द्वारा एम्बुलेंस अथवा किसी वाहन का उपयोग किए जाने पर उपगत व्यय प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगा।

केवल आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में, शासकीय कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य के राज्य के बाहर सूचीबद्ध चिकित्सालय में उपचार के लिए एयर एम्बुलेंस के उपयोग को संचालक, चिकित्सा शिक्षा तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

एयर एम्बुलेंस के उपयोग के लिए प्रतिपूर्ति के दावे के कार्योत्तर अनुमोदन का, रोगी की आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उसे अंतरित करने की अत्यावश्यकता सिद्ध करने के लिए संचालक, चिकित्सा शिक्षा तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

प्र.19 दिव्यांग शासकीय कर्मचारी द्वारा उपगत व्यय के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए क्या प्रावधान है ?

उ.19 दिव्यांग शासकीय कर्मचारी द्वारा कैलिपर, कृत्रिम अंग, विकृति के लिए जूते, विकलांग पट्टियां, गर्दन की कॉलर अथवा अन्य आवश्यक उपकरणों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, केवल प्रथम बार की गई खरीद पर ही की जाएगी।

प्र.20 अन्तर्वासी रोगी के उपचार (In-Patient Treatment) के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु पैकेज दरों के संबंध में क्या प्रावधान हैं ?

उ.20 (i) **प्ररूप–चार** में प्रस्तुत किए गए अन्तर्वासी रोगी के उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के समस्त दावों की, भोपाल शहर के लिए समय–समय पर विहित की गई अधिकतम सी.जी.एच.एस दरों की सीमा में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) उपचार पर नियत पैकेज से अधिक व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की प्रतिपूर्ति नियम 9 के उपनियम (1) में विहित अधिकतम सीमा में की जाएगी।

(iii) आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार होने पर, राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर, जहां कि भोपाल शहर के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरें उपलब्ध न हों, रूपये 5 लाख से कम के दावों को विहित संभागीय समिति की अनुशंसा पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

प्र.21 अन्तर्वासी रोगी के उपचार के लिए 5 लाख से कम के दावों के परीक्षण व अनुशंसा हेतु संभागीय समिति की संरचना क्या है ?

उ.21 अन्तर्वासी रोगी के उपचार के लिए 5 लाख से कम के दावों के परीक्षण व अनुशंसा हेतु संभागीय समिति की संरचना निम्नानुसार हैः–

(i) संभागीय मुख्यालयीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता – अध्यक्ष

(ii) क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं – सदस्य सचिव

(iii) संयुक्त संचालक (कोष एवं लेखा) – सदस्य

प्र.22 आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में अन्तर्वासी रोगी के रूप में 5 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से कम के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर विचार हेतु राज्य स्तरीय समिति की संरचना क्या है ?

उ.22 आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में अन्तर्वासी रोगी के रूप में 5 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से कम के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर विचार हेतु राज्य स्तरीय समिति की संरचना निम्नानुसार है:–

(i) संचालक स्वास्थ्य सेवाएं	–	अध्यक्ष
(ii) संचालक चिकित्सा शिक्षा	–	सदस्य सचिव
(iii) अपर संचालक से अनिम्न श्रेणी का कोषालय का कोई नामांकित अधिकारी	–	सदस्य

प्र.23 आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में अन्तर्वासी रोगी के रूप में 5 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से कम के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के देयक शासकीय कर्मचारी के नियंत्रणकर्ता विभाग द्वारा कहां प्रेषित किए जाएंगे ?

उ.23 अन्तर्वासी रोगी के उपचार के लिए 5 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से कम के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के देयकों के उचित परीक्षण राज्य स्तरीय समिति से कराने हेतु समस्त देयक नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय में प्रेषित किए जाएंगे, जहां उक्त समिति के सदस्य सचिव होने के नाते संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर बैठक आहूत की जाएगी।

प्र.24 शासकीय कर्मचारी द्वारा अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार हेतु क्या अग्रिम की मांग की जा सकती है ?

उ.24 अन्तर्वासी रोगी के उपचार हेतु अग्रिम का अनुमोदन. –

(i) शासकीय कर्मचारी अपने स्वयं के अथवा अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य के उपचार के लिए प्राक्कलित चिकित्सा व्यय के 80 प्रतिशत तक का अग्रिम भुगतान किए जाने का दावा कर सकता है।

(ii) शासकीय कर्मचारी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /स्थानीय शासन द्वारा संधारित चिकित्सालयों में उपचार के लिए प्राक्कलित चिकित्सा व्यय के संबंध में अपने नियंत्रणकर्ता आधिकारी को, उपचाररत चिकित्सालय के अधीक्षक की अनुशंसा के आधार पर अग्रिम स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकेगा।

(iii) शासकीय कर्मचारी विशिष्ट रोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर सूचीबद्ध किए गए निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिए प्राक्कलित चिकित्सा व्यय के संबंध में अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी को, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की अनुशंसा के आधार पर अग्रिम स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकेगा।

(iv) शासकीय कर्मचारी विशिष्ट रोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर सूचीबद्ध किए गए निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिए प्राक्कलित चिकित्सा व्यय के संबंध में अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी को, निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता की अनुशंसा के आधार पर अग्रिम प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा।

(v) राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में उपचार के लिए अग्रिम संबंधी कोई दावे स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

प्र.25 क्या शासकीय कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य को राज्य के भीतर संधारित चिकित्सालयों में अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार प्राप्त करने हेतु पूर्व रेफरल की आवश्यकता है?

उ.25 शासकीय कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई आश्रित सदस्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय शासन द्वारा राज्य के भीतर संधारित किसी चिकित्सालय (चिकित्सालयों) में बिना किसी पूर्व रेफरल के अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार प्राप्त कर सकेगा।

प्र.26 शासकीय कर्मचारी द्वारा राज्य के भीतर संधारित शासकीय चिकित्सालयों में उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए क्या प्रक्रिया है ?

उ.26 शासकीय कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय शासन द्वारा राज्य के भीतर संधारित चिकित्सालयों में उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के समस्त दावे सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की अनुशंसा पर नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे।

प्र.27 शासकीय कर्मचारी द्वारा राज्य के भीतर निजी चिकित्सालयों में उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए क्या प्रक्रिया है ?

उ.27 राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में, समय–समय पर विहित किए गए विशिष्ट रोगों के लिए, शासकीय कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई आश्रित सदस्य अन्तर्वासी रोगी के रूप में बिना किसी पूर्व रेफरल के, उपचार प्राप्त कर सकेगा। उपचार पर उपगत व्यय संबंधी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के ऐसे समस्त दावे, शासकीय कर्मचारी के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा विहित क्षेत्रीय समिति की अनुशंसा पर अनुमोदित किए जाएंगे।

प्र.28 राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार हेतु क्या पूर्व अनुमति की आवश्यकता है ?

उ.28 राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर के सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में कोई शासकीय कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई आश्रित सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित विशिष्ट रोगों के लिए, अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार प्राप्त कर सकेगा परन्तु ऐसे अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार लेने के पूर्व निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता से विहित **प्ररूप–पांच** में रेफरल हेतु पूर्वानुमति प्राप्त की जानी होगी।

प्र.29 राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा देयक कहां प्रेषित किए जाएंगे ?

उ.29 राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा देयक क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय में प्रेषित किए जाएंगे ताकि विहित संभागीय समिति की अनुशंसा प्राप्त की जा सके।

प्र.30 क्या राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर गैर–सूचीबद्ध चिकित्सालयों में अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार हेतु रेफरल की अनुमति प्राप्त की जानी होगी ?

उ.30 राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर गैर–सूचीबद्ध चिकित्सालयों में अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार हेतु रेफरल की अनुमति नहीं है।

प्र.31 आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में यदि शासकीय कर्मचारी को राज्य के भीतर किसी गैर–सूचीबद्ध चिकित्सालय में अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार लेना आवश्यक हो तो, ऐसे दावों का निराकरण कैसे किया जाएगा ?

उ.31 आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में राज्य के भीतर गैर–सूचीबद्ध चिकित्सालय में, अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार के फलःस्वरूप उपगत हुए व्ययों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी समस्त दावे, शासकीय कर्मचारी द्वारा नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे। दावे का विनिश्चय नियम 9 के उपनियम (3) में यथाविहित संभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार किया जाएगा।

प्र.32 आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में यदि शासकीय कर्मचारी को राज्य के बाहर किसी गैर–सूचीबद्ध अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार लेना आवश्यक हो तो, ऐसे दावों का निराकरण कैसे किया जाएगा ?

उ.32 आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में राज्य के बाहर गैर–सूचीबद्ध चिकित्सालय में, अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार के फलःस्वरूप उपगत हुए व्ययों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी समस्त दावे, शासकीय कर्मचारी द्वारा नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे। दावे का विनिश्चय नियम 9 के उपनियम (4) में यथाविहित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार किया जाएगा।

प्र.33 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय में विभिन्न शासकीय विभागों के नियंत्रणकर्ता अधिकारियों से किस प्रकार के देयक विचारार्थ प्राप्त होंगे ?

उ.33 (i) शासकीय कर्मचारी अथवा उसके आश्रितों के **बाह्य रोगी संबंधी देयक** जो 1 वित्तीय वर्ष में शासकीय चिकित्सालय में बाह्य रोगी के रूप में उपचार पर उपगत व्यय राशि रु. 8000/– से अधिक किन्तु राशि रु. 20000/– से कम मूल्य के देयक जिस पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा परीक्षण व अनुशंसा अपेक्षित हो।

(ii) **दीर्घकालिक रोग** (Disease requiring Prolonged Treatment) से ग्रस्त शासकीय कर्मचारियों के **प्ररूप–तीन** में ''आवश्यकता प्रमाण–पत्र'' हेतु।

(iii)विशिष्ट रोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा **राज्य के भीतर सूचीबद्ध** निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिए प्राक्कलित चिकित्सा व्यय के संबंध में **अग्रिम स्वीकृति के लिए अनुशंसा** हेतु।

प्र.34 संभागीय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय में विभिन्न शासकीय विभागों के नियंत्रणकर्ता अधिकारियों से किस प्रकार के देयक विचारार्थ प्राप्त होंगे ?

उ.34 (i) **गैर–सूचीबद्ध चिकित्सालय में** आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर, जहां कि भोपाल शहर के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरें उपलब्ध न हो – राशि रु. 5 लाख से कम के दावा संबंधी देयक। [नियम 9 (3)]

(ii) **राज्य के भीतर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में** समय–समय पर विहित विशिष्ट रोगों के लिए अन्तर्वासी रोगी के रूप में बिना किसी पूर्व रेफरल के उपचार प्राप्त करने फलःस्वरूप क्षेत्रीय समिति के विचारार्थ हेतु समस्त देयक। [नियम 11 (2)]

(iii) **राज्य के बाहर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में** समय–समय पर विहित विशिष्ट रोगों के लिए जिसकी पूर्वानुमति शासकीय कर्मचारी द्वारा निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता से प्राप्त की गई है। [नियम 11 (3)]

प्र.35 संचालक चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय में विभिन्न शासकीय विभागों के नियंत्रणकर्ता अधिकारियों से किस प्रकार के देयक विचारार्थ प्राप्त होंगे ?

उ.35 गैर–सूचीबद्ध चिकित्सालय में आपातकालीन चिकित्सीय अवस्था में राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर, जहां कि भोपाल शहर के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरें उपलब्ध न हो – राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा हेतु राशि रु. 5 लाख से अधिक किन्तु रु. 20 लाख से कम के दावा संबंधी देयक [नियम 9 (4)] विचारार्थ प्राप्त होंगे।

प्र.36 शासकीय कर्मचारी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कब तक किया जा सकता है ?

उ.36 बाह्य रोगी तथा अन्तर्वासी रोगी के रूप में उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन व्यय दिनांक से छः मास के भीतर, क्रमशः **प्ररूप–दो और चार** में नियंत्रणकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

प्र.37 क्या शासकीय कर्मचारी द्वारा होम्योपैथी अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति से कराए गए उपचार की प्रतिपूर्ति का दावा किया जा सकेगा ?

उ.37 शासकीय कर्मचारी स्वयं पर अथवा अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य पर होम्योपैथी अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति के अधीन की गई चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भी उसी रीति में तथा उसी सीमा तक प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि पूर्वगामी नियमों में निर्धारित की गई है, परन्तु ऐसी औषधियों को क्रय करने पर किया गया व्यय, आयुष विभाग द्वारा यथाविहित परिशिष्ट में वर्णित औषधियों के संबंध में प्राधिकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर से तथा प्राचार्य/संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद/डिस्पेंसरी अधीक्षक के प्रति हस्ताक्षर से प्रतिपूर्ति योग्य होगा। इन नियमों के अधीन प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए किसी चिकित्सालय का प्रभारी आयुष चिकित्सक प्राधिकृत चिकित्सक समझा जाएगा।